प्रारूप सात

(नियम 11 देखिये)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973(क्र.44 सन 1973)की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिये प्रपत्र ।

1. सेसायटी का नाम और पूरा पता : अयोध्या प्रसाद नर्मदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सदर बाजार कैंट जबलपुर ।
2. पंजीयन कमांक तथा तारीख : पंजीयन कमांक 167 दिनांक 21/01/1932
3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख : 25/06/2023
4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची : कार्यकाल तारीख 25/06/2023 से तारीख 25/06/2026

क्रं	नाम	पिता/पति का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्रीमती मीना श्रीवास्तव	श्री चमन श्रीवास्तव	01 कटंगा हिल्स रघुनाथ जी का बाड़ा कैंट जबलपुर	अध्यक्ष	व्यवसाय (यूनीफार्म सप्लाई)	Meena Shrivastava
2.	श्री चमन श्रीवास्तव	स्व0रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव	01 कटंगा हिल्स, रघुनाथ जी का बाड़ा कैंट जबलपुर	उपाध्यक्ष	पुलिस एवं मिलिट्री यूनीफार्म सप्लाई	
3.	श्री तुलसी दास	स्व0रामदास द्रविड़	ओवेरॉय परिसर रेल्वे क्रासिंग के बाजू से हाथीताल जबलपुर	प्रबंधक	सेवानिवृत्त टेलीफोन अधिकारी	
4	श्री सिद्धेश्वर श्रीवास्तव "मयंक"	श्री सर्वेश्वर श्रीवास्तव "चमन"	01 कटंगा हिल्स रघुनाथ जी का बाड़ा कैंट जबलपुर	सह-प्रबंधक	व्यवसायी	
5	श्री ज्ञानचंद गोलछा	स्व0मूलचंद जी गोलछा	110 सदर बाजार जबलपुर	सदस्य	बांस,बल्ली का थोक व्यापार	
6	श्री अजीत श्रीवास्तव	स्व0गोविंद सहाय श्रीवास्तव	1523 नेपियर टाउन होमसाइंस रोड जबलपुर	सदस्य	सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर	
7.	श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव	श्री धवल श्रीवास्तव	1523 नेपियर टाउन होमसाइंस रोड जबलपुर	सदस्य	~~कम्पनी सेकेट्री~~/ एडवोकेट	Priyanka
8	डॉ0राधिका श्रीवास्तव	श्री तरूण सक्सेना	01 कटंगा हिल्स कैंट जबलपुर	सदस्य	दंत चिकित्सक	

5. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973(कं. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन रूपये 1000/- की वार्षिक फीस चालान कमांक 051/9999999/14351 दिनांक 20/7/2023 के व्दारा जमा कर दी गई हैं उसकी मूल प्रति संलग्न हैं । 07/23/022945

मैं श्रीमती मीना श्रीवास्तव पति श्री चमन श्रीवास्तव आयु 60 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद व्दारा घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य हैं । सोसायटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में हैं । मैं यह जानती हूँ कि यदि मेरे व्दारा कोई असत्य जानकारी दी जाती हैं तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय होगा ।

Meena Shrivastava

अध्यक्ष
ए. पी. नर्मदा उ.मा. शाला
सदर, जबलपुर

(8)

अयोध्याप्रसाद नर्मदा उच्चतर माध्यमिक शाला कैन्टोनमेन्ट, जबलपुर विधान परिषद की नियमावली

1. संस्था का नाम : अयोध्या प्रसाद नर्मदा उच्चतर माध्यमिक शाला, जबलपुर
2. संस्था का कार्यालय : अयोध्या प्रसाद न.उ. नर्मदा उच्चतर माध्यमिक शाला, केन्टोनमेन्ट जबलपुर, तहसील - जबलपुर जिला - जबलपुर मध्यप्रदेश।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : मध्यप्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य : शिक्षा का प्रचार प्रसार

समिति के कार्यो का प्रबन्ध लाला हरकिशनलाल या उनके उत्तराधिकारियों के अधीन अयोध्याप्रसाद नर्मदा उच्चतर माध्यमिक शाला सदर जबलपुर की विधानपरिषद के सुपुर्द निम्नानुसार है :-

5. सदस्यता

संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :-

अ. आजीवन सदस्य

जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रू.2000/- या इससे अधिक एक मुश्त रकम देगा आजीवन सदस्य बन सकेगा । इस हेतु आवेदन करने पर कार्यकारिणी की अनुमति आवश्यक होगी ।

ब. साधारण सदस्य

जो व्यक्ति रू.51.00 रूपये प्रतिवर्ष संस्था को सदस्यता शुल्क के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उसने सदस्यता शुल्क दिया है, जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के 6 माह तक सदस्यता शुल्क नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी । ऐसे सदस्यों इस संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया सदस्यता शुल्क की राशि देने पर कार्यकारिणी के निर्णय उपरान्त सदस्य बनाया जा सकेगा ।

स. लाला हरकिशनलाल या उनके उत्तराधिकारी के अलावा 25 सामान्य सदस्य होंगे । लाला हरकिशनलाल के उत्तराधिकार द्वारा प्रमाणित पत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही उनके द्वारा मनोनीत सदस्य माना जावेगा ।

प्रबन्धक
ए. पी. नर्मदा उ. मा. शाला जबलपुर कैण्ट

प्रबन्धक
ए० पी० नर्मदा उ० मा० शाला सदर, जबलपुर
Principal
A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary School, Jabalpur Cantt.

Principal
A. P. Narmada Higher Secondary School Cantt. Jabalpur (M. P.)

प्राचार्य,
अ० प्र० नर्मदा उच्चतर माध्यमिक शाला जबलपुर
President
A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary School, Jabalpur Cantt.

6. सदस्यता की प्राप्ति

प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप से आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन अध्यक्ष को प्रस्तुत होगा। सदस्यों की पूर्ति साधारण प्रचार कर सदस्यता हेतु आवेदन आमंत्रित कर सूचना की दिनांक से 7 दिन की अवधि में योग्य व्यक्ति/व्यक्तियों को सदस्य बनाकर की जावेगी।

7. सदस्यों की योग्यता

संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-

(1). आयु 18 वर्ष से कम न हो।

(2). भारतीय नागरिक हो।

(3). समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा (शपथग्रहण) की हो।

(4). सदचरित्र हो।

(5). समिति के सभी सदस्य मानसेवी व अवैतनिक होंगे।

8. सदस्यता की समाप्ति

संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :-

(1). मृत्यु होने पर।

(2). पागल होने पर।

(3). संस्था का देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताए अनुसार ना जमा करने पर।

(4). त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।

(5). चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देनी होगी।

(6). किसी सदस्य द्वारा लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

(7). अकुशल होने पर।

Meena Jha
President
A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary School, Jabalpur Cantt.

Attested.

प्रबन्धक
ए॰ पी॰ नर्मदा उ॰ मा॰ शाला
सदर, जबलपुर

प्राचार्य,
ए॰ प्र॰ नर्मदा उच्चतर माध्यमिक शाला
जबलपुर

प्रबन्धक
ए. पी. नर्मदा उ.मा. शाला
जबलपुर कैण्ट

Principal
A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary School, Jabalpur Cantt.

9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजीयक रखी जावेगी जिनमें निम्न ब्योरे दर्ज किए जाऐंगे-

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय ।

(2). वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया हो व रसीद नंबर ।

(3). वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो ।

ब. साधारण सभा

साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाए श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में दो चार बैठक अनिवार्य होगी बैठक की तारीख बैठक का स्थान व समय तीन दिवस पूर्व सभी सदस्यों को सूचित किया जावेगा । (बैठक का कोरम) बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। सदस्यों को केवल एक मत देने का अधिकार रहेगा ।

च. प्रबन्धकारिणी सभा

प्रबन्धकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक दो माह में होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से 3 दिन पूर्व (आवश्यकता पड़ने पर 24 घण्टे पूर्व) कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी ।

स. विशेष

यदि कम से कम कुल संख्या कुल सामान्य सदस्यों की संख्या का 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाए जाने हेतु आवेदन करते हैं तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी ।

10. साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य

क. संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।

ख. संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।

ग. आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।

घ. अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।

Meenakshi
President
A.P.N. C.B.S.E. Senior Second[ary]
School, Jabalpur Cantt.

Attested

प्रबन्धक
ए. पी. नर्मदा उ. मा. शाला
जबलपुर कैण्ट

अध्यक्ष
ए० पी० नर्मदा उ० मा० शाला
सदर, जबलपुर

प्राचार्य,
ए० पी० नर्मदा उच्चतर माध्यमिक शाला
जबलपुर

Principal
A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary

न. संस्था के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।

छ. बजट का अनुमोदन करना ।

1. प्रबन्धकारिणी का गठन

नियम 5 अ, ब, में दर्शाए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबन्धकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।

(1). अध्यक्ष - एक (2) प्रबन्धक - एक

(3). उपाध्यक्ष - एक (4) ~~संयुक्त सचिव~~ - एक
सहायक प्रबंधक २

(5). सदस्य - चार

12. प्रबन्धसमिति का कार्यकाल

प्रबन्धसमिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबन्धकारिणी समिति का गठन नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता करती रहेगी, किन्तु अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगा, जिसका अनुमोदन साधारण सभा में कराना अनिवार्य होगा ।

13. प्रबन्धकारिणी के अधिकार एवं कर्त्तव्य

अ. जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है, उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।

ब. पिछले वर्ष का आय - व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

स. समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

द. कर्मचारियों शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

ई. अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय - समय पर सौंपे जावे ।

प. प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों में किसी प्रकार का वित्तीय व्यय शाला कोष अथवा प्रबन्धकारिणी समिति कोष से नहीं किया जा सकेगा ।

य. संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी । इसके संरक्षण का अधिकार अध्यक्ष का होगा ।

ह. संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जाएगी ।

Meenakshi
Attested President
A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary
School, Jabalpur Cantt.

प्रबन्धक
ए. पी. नर्मदा उ. मा. शाला
जबलपुर कैण्ट

प्रबन्धक
ए० पी० नर्मदा उ० मा० शाला
सदर, जबलपुर

Principal
A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary

प्राचार्य,
ए० प्र० नर्मदा उच्चतर माध्यमिक शाला
जबलपुर

ज. विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदित हेतु भेजा जावेगा ।

14. अध्यक्ष के अधिकार

अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा प्रबन्धक द्वारा साधारण सभा में प्रबन्धकारिणी की बैठकों का आयोजन करवाएगा । सदस्यों की पूर्ति साधारण प्रचार कर सदस्यता हेतु आवेदन आमंत्रित कर सूचना की दिनांक से 7 दिन की अवधि में योग्य व्यक्तियों को सदस्य बनाने हेतु अधिकृत रहेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा । अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति का मुखिया होगा सामान्य सभा व प्रबन्धकारिणी की आपात व अभियाचित बैठक बुलाने एवं हस्तक्षेप करने हेतु अधिकृत होगा । अध्यक्ष आवश्यकतानुसार समिति/समितियों का गठन करेगा आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगा ।

15. उपाध्यक्ष के अधिकार

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा किन्तु सदस्यता प्रदान करने हेतु अधिकृत नहीं रहेगा ।

16. बैंक खाता :

संस्था की समस्त निधि किसी बैंक में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष तथा प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही होगा ।

17. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी

अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी ।

President
A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary
School, Jabalpur Cantt.

Attested

प्रबन्धक
ए. पी. नर्मदा उ. मा. शाला
जबलपुर कैण्ट

प्रबन्धक
ए० पी० नर्मदा उ० मा० शाला
सदर, जबलपुर

प्राचार्य
ए० पी० नर्मदा उच्चतर माध्यमिक शाला
जबलपुर

Principal
A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary

18 संशोधन

संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा ।

19. सम्पत्ति

संस्था की चल अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी ।

20. बैंक खाता

संस्था की समस्त निधि किसी बैंक में खाता खोलकर रखी जावेगी एवं समय - समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

21. विवाद

संस्था में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की बैठक में सुलझाने का अधिकार होगा यदि इस निश्चित व निर्णय से पक्षों को सन्तोष न हो तो वे रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय हेतु भेज सकेंगे रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

22. प्रबन्धक के अधिकार

1. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की बैठक समय - समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना । सामान्य सभा का आयोजन वर्ष में दो बार जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसम्बर अनिवार्य होगा ।
2. समिति का आय व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण उपसभा के सम्मुख प्रस्तुत करना तथा प्रतिवर्ष 30 जून तक चार्टर्ड अकाउंटेंड द्वारा प्राप्त वित्तीय विवरण एवं सुझाव व आपत्तियाँ सभा के समक्ष प्रस्तुत करना ।
3. समिति के समस्त कागजातों को तैयार करना व करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर अध्यक्ष को सूचना देना ।
4. समिति को प्राप्त होने वाली राशि को प्राप्त करना एवं बैंक में जमा करना तथा चेक द्वारा ही आवश्यक व्यय करना ।

President
A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary School, Jabalpur Cantt.

Attested

प्रबन्धक
ए. पी. नर्मदा उ. मा. शाला
जबलपुर कैण्ट

प्राचार्य
ए० पी० नर्मदा उ० मा० शाला
सदर, जबलपुर

Principal
A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary School, Jabalpur Cantt.

आचार्य
ए० प्र० नर्मदा उच्चतर माध्यमिक शाला
जबलपुर

(14)

(13)

23. <u>सहायक प्रबंधक के अधिकार</u>

प्रबंधक की अनुपस्थिति में उसका कार्य करेगा व उसके अधिकारों का प्रयोग करेगा।

प्रबंधक को उसके कार्य करने में सहायता देगा।

प्रमाणित प्रति
क्रमांक 18 ... 23/2/96
दिनांक 14/8/96
27/8/96

Attested.

प्रबन्धक
ए० पी० नर्मदा उ० मा० शाला
जबलपुर

प्राचार्य
ए० पी० नर्मदा उच्चतर माध्यमिक शाला
जबलपुर

Meenakshi
President
A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary
School, Jabalpur Cantt.

Principal
A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary
School, Jabalpur Cantt.

प्रबन्धक
ए. पी. नर्मदा उ. मा. शाला
जबलपुर कैण्ट

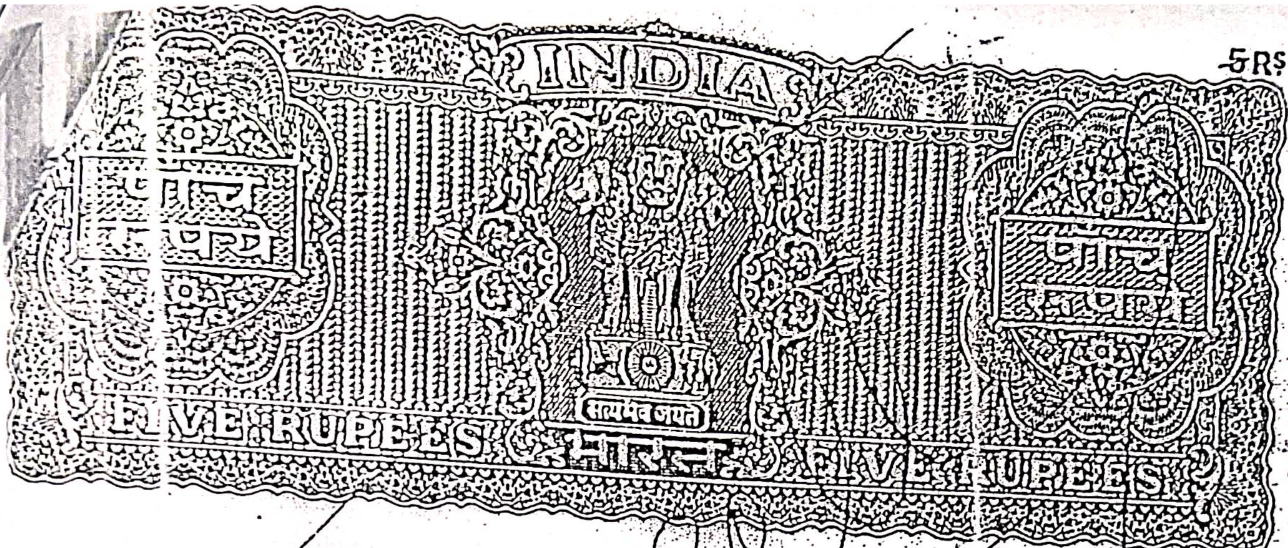

Attested

प्रबन्धक
ए० पी० नर्मदा उ० मा० शाला
सदर, जबलपुर

प्राचार्य,
ए० प० नर्मदा उच्चतर माध्यमिक शाला,
जबलपुर

President
A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary School, Jabalpur Cantt.

Principal
A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary School, Jabalpur Cantt.

प्रबन्धक
ए. पी. नर्मदा उ. मा. शाला
जबलपुर कैण्ट